

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
//आदेश//


भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2020

क्रमांक आर 594/670/2020/20-2 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.03.2020 के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के जिन विषयों की वार्षिक परीक्षाएं शेष रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था तथा उनके मासिक एवं अर्द्धवार्षिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे।

2/ राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस (COVID -19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा मध्य प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रावधान के अनुरूप अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रोन्नत किए जाने के निर्देश प्रसारित करता है।

यह निर्देश सत्र 2019-20 के लिए प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
28/3/2020  
( पी.के. सिंह )

उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग


पृ.क्रं आर 594/670/2020/20-2  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग/गृह विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/वन विभाग/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग/श्रम विभाग/खेल एवं युवक कल्याण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क मध्य प्रदेश।



6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
  7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
  8. क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल।
  9. सचिव, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
  10. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
  11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश।
  12. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल।
  13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, मध्यप्रदेश भोपाल।
  14. सचिव, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड।
  15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।
  16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश।
  17. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्य प्रदेश।
  18. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश।
  19. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
28/3/2020  
उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग